Sixteenth Loksabha

an>

Title: Need to ban online sale of medicines.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल)ः पिछले चार-पाँच सालों में ऑनलाइन ट्रेडिंग में काफी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। ग्राहक घर या अपने दफ्तर में बैठकर मनचाही चीज मंगवा सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग की शिकायतों में भी दिनोंदिन बढ़ोतरी होती जा रही है। कई मामलों में तो ग्राहकों को कोई और सामान ऑर्डर करने पर उसका डुप्लीकेट सामान या कोई अन्य वस्तु पहुँचा दी जाती है और अब ऑनलाइन ट्रेडिंग का कार्यक्षेत्र इतना बढ़ गया हे कि अब मरीजों को दवाइयाँ भी घर पहुँचाने का काम आसानी से कर रही है। इसके साथ साथ कुछ प्रतिबंधित दवाइयों को भी ऑनलाइन बेचा जा रहा है।

मैं सरकार का ध्यान ऑनलाइन दवाई बेचने वाली कंपनियों पर आकर्षित करना चाहता हूँ। आज मेडिकल दुकानदारों पर सख्ती बरती जा रही है कि वो बिना डॉक्टर के अनुमति पत्र के कोई भी दवाई नहीं बेच सकते, परंतु ऑनलाइन दवाई बेचने वाली कंपनियाँ डॉक्टरों की अनुमति पत्र के बिना बहुत सी दवाइयाँ ऑनलाइन बेच रही है। इसमें आश्चर्य करने वाली बात यह है कि बहुत सी प्रतिबंधित दवाइयाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है जो कि मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करती है।

मैं सरकार से इस विषय की गंभीरता को समझते हुए यह मांग करता हूँ कि इस तरह की ऑनलाइन दवाई बिक्री प्रक्रिया पर नजर रखी जाए तथा ऑनलाइन बेची जा रही दवाइयों पर अतिशीघ्र प्रतिबंध लगाया जाय।